

New Demand as per revised BCR amount for CAMPA fund CA amount (In Rupees)

Sl.	Division	New Amount (A)	Old Amount (B)	Difference to be deposited (A-B)
1.	Bikaner	11522985	10941638	581347
2.	Sri Ganganagar	6131513	5822117	309396
3.	Hanumangarh	720500	684140	36360
	Total	1,83,74,998	1,74,47,895	9,27,103

(In words: Rupees Nine lakh twenty seven thousand one hundred and three only)

Enclosed the three demand notes

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर 159

बिन्दु ई. धर्मपाल के सामने पब्लिक पार्क, बीकानेर Email-dfotaka@gmail.com तैल नं-01512544861
क्रमांक : एक () सर्वे/2019-20/ 410 दिनांक - 13/11/2021

परियोजना निदेशक,
डायरेक्टर कम जी.एम. (टी),
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
कार्यान्वयन ईकाई, 191 कॉर्ट रोड,
हनुमानगढ़।

विषय- Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India PIU Hanumangarh for Construction of Approach road for Construction of 4/6 Lane road from Choutala in Sirsa District in the State of Haryana to Rasisar in Bikaner in the state of Rajasthan from CH (0.300) km to 252.500 km this is part of Amritsar to Kandla express way under Bhartmala priyोजना [Proposol No. FP/RJ/ROAD/37034/2019]

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.09.2020 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India PIU Hanumangarh for Construction of Approach road for Construction of 4/6 Lane road from Choutala in Sirsa District in the State of Haryana to Rasisar in Bikaner in the state of Rajasthan from CH (0.300) km to 252.500 km this is part of Amritsar to Kandla express way under Bhartmala priyोजना [Proposol No. FP/RJ/ROAD/37034/2019] में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि पुरानी बी.एस.आर. दर 213/- रुपये के अनुसार जमा करवायी गयी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हौफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 3472-84 दिनांक 24.11.2020 द्वारा वर्तमान में नयी बी.एस.आर. दर 225/- रुपये होने के कारण निम्नानुसार अन्तर राशि जमा करवायी जानी प्रस्तावित है:-

बिन्दु संख्या 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 1,09,41,638/- (अखरे रुपये एक करोड़ नौ लाख इकतालिस हजार छः सौ अड़तीस मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में पुरानी बी.एस.आर. दर 213/- रुपये के अनुसार जमा करवायी गयी है। वर्तमान में नयी बी.एस.आर. दर लागू होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि $79.9652 \text{ हैक्टर} \times 144100 = 1,15,22,985/-$ (अखरे रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख बाईस हजार नौ सौ पिचासी मात्र) बनते हैं अतः अन्तर राशि $1,15,22,985 - 1,09,41,638 = 5,81,347/-$ (अखरे रुपये पांच लाख इकासी हजार तीन सौ सैतालिस मात्र) रुपये तत्काल ई-घालान द्वारा कैम्पा मद नई दिल्ली में ऑन लाईन जमा करवाकर मूल रसीद सहित पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवावे ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनीता)

उप वन संरक्षक

बीकानेर

क्रमांक/सम/ 411-412

दिनांक- 13/11/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।

(अनीता)

उप वन संरक्षक

बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in & dcf.raj.sgnr@gmail.com)

Phone & Fax No. 0154-2472339

क्रमांक :- एफ()उवसं/सर्वे/2019-20/210

दिनांक :- 18/01/21

निमित्त,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम जीएम(टी)
नेशनल हाईवे ऑथेरिटी ऑफ इण्डिया
191, कोर्ट रोड नजदीक पुलिस स्टेशन
हनुमानगढ़।

विषय :- Diversion of 63.6807 ha. Of forest land in favour of National Highways Authority of India, PIU Hanumangarh for construction of approach road for construction of 4/6 lane road from Choutala in Sirsa District in the the state of Haryana to Rasiserin Bikaner District in the state of Rajasthan from CH(-0.300) km to 252.500 km this is a part of Amritsar to Kandla Express way under Bharatmala Pariyojana
Proposal No. (FP/RJ/ROAD/37034/2018)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज0/06/25/2020/एफ.सी./ 854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज0/06/25/2020/एफ.सी./ 854 दिनांक 02.09.2020 द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि पुरानी बी.एस.आर. दर 213/- रु के अनुसार जमा करवायी गयी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ) राज0 जयपुर के पत्रांक 3472-84 दिनांक 24.11.2020 द्वारा वर्तमान में नयी बी.एस.आर. दर 225/- रु होने के कारण निम्नानुसार अन्तर राशि जमा करवायी जानी प्रस्तावित है :-

सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं0 3 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 5822117/- कैम्पा नई दिल्ली में पुरानी बी.एस.आर. दर 213/- रु के अनुसार जमा करवायी गयी है। वर्तमान में नयी बी.एस.आर. दर 225/- रु लागू होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 6131513/- बनते है। अतः अन्तर राशि 6131513 - 5822117 = 309396/- तत्काल ई-चालान द्वारा कैम्पा मद नई दिल्ली में ऑन लाईन जमा करवाकर मूल रसीद सहित पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाये ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

पिल्लर निर्माण की राशि 267500/- रु पुरानी बी.एस.आर. दर 213/- रु के अनुसार जमा करवायी गयी है। वर्तमान में नयी बी.एस.आर. दर 225/- रु लागू होने के कारण पिल्लर निर्माण की राशि 282587/- रु बनते है। अतः अन्तर राशि 282587 - 267500 = 15087/- रु कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर के नाम से जमा करावे ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

M

(आशुतोष ओझा)IFS

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर

क्रमांक :- सम/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं मोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़



क्रमांक : एफ() सर्वे / 2020-21 / 349
परियोजना निदेशक,
डायरेक्टर कम जी एम (टी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कार्यान्वयन इकाई 191 कोर्ट रोड
हनुमानगढ़।

दिनांक 22/01/2021

विषय - Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favoun fo National Highway Authority of India PIU Hanumangarh for Construction. of Aapproach road for Construction of 4/6 Lane road from Choutala in Sirsa District in the State or Haryana to Rasisar in Bikaner in the State of Rajasthan from CH (0.300)km to 252.300 km this is part of Amritsar to Kandla express way under Bhartmala priyojana [Proposol No. FP/RJ/ROAD/37034/2019]

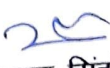
संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.08.20 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favoun fo National Highway Authority of India PIU Hanumangarh for Construction. of Aapproach road for Construction of 4/6 Lane road from Choutala in Sirsa District in the State or Haryana to Rasisar in Bikaner in the State of Rajasthan from CH (0.300)km to 252.300 km this is part of Amritsar to Kandla express way under Bhartmala priyojana [Proposol No. FP/RJ/ROA/37034/2019] में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि पुरानी बी.एस.आर. दर 213/- रुपये के अनुसार जमा करवायी गयी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3472-84 दिनांक 24.11.2020 द्वारा वर्तमान में नयी बी.एस.आर. दर 225/- रुपये होने के कारण निम्नानुसार अन्तर राशि जमा करवायी जानी प्रस्तावित है-

बिन्दु संख्या 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 6,84,140/- छ लाख चौरासी हजार एक सौ चालीस मात्र कैम्पा नई दिल्ली में पुरानी बीएसआर दर 213/- रुपये के अनुसार जमा करवायी गयी है। वर्तमान में नयी बीएसआर दर लागू होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि 5 हैक्टर $\times 144100 = 7,20,500/-$ सात लाख बीसे हजार पाँच सौ मात्र बनते है अतः अन्तर राशि $7,20,500 - 6,84,140 = 36360/-$ छतीस हजार तीन सौ साठरुपये तत्काल ई-चालान द्वारा कैम्पा मद नई दिल्ली में ऑन लाईन जमा करवाकर मूल रसीद सहित पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाये ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सक।

भवदीय


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

क्रमांक / सम /

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान राणाजीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।

1
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़